न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–238/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00091)

01. आनन्द सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह,
02. धर्मपाल पुत्र श्री रघुनाथ सिंह,
03. समदर सिंह पुत्र श्री रघुनाथ सिंह,
04. मोती सिंह पुत्र श्री मेघ सिंह,
05. पितराम सिंह पुत्र श्री मेंघ सिंह,
06. सत्यवीर सिंह पुत्र श्री गणपत राम,
07. अमर सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह,
08. बन्ने सिंह पुत्र श्री रूप सिंह,
09. बिशन सिंह पुत्र श्री भुधाराम, समस्त जातियान धाबाई निवासीयान ग्राम भगेरा, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।
10. श्री गोपाल जी मंदिर ट्रस्ट, अध्यक्ष, विनोद कुमार चोटिया।

——अपीलान्ट्स

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू।

——रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 17.03.2020

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू के आदेश दिनांक 28.12.2016 (प्रकरण संख्या 48/2016) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में अंकित खसरा नम्बर 43 एव 282 के प्रार्थीगण सह खातेदार है जिससे प्रार्थीगण के हक अधिकार उक्त खसरा नम्बरान में निहित है इसलिये प्रार्थीगण को अपीलार्थीगण संख्या 11 व 12 के रूप में अथवा तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के रूप में पक्षकार संयोजित किया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण ने अपने खातेदारी अधिकारों के तहत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2016 को निरस्त किये जाने बाबत उक्त अपील प्रस्तुत की है जिससे प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से न्याय से वंचित नही होंगे क्योंकि यदि प्रार्थीगण का कोई हित प्रभावित होता है तो उसके लिये वह अधीनस्थ न्यायालय में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते है, उक्त अपील में पक्षकार बनने का कोई युक्तियुक्त करण नही है, ना ही प्रार्थीगण उक्त अपील में आवश्यक व प्रोपर पक्षकार की श्रेणी में है बल्कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र मात्र अपील के

संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

निर्णय में देरी करने की नियत से पेश किया गया है, जो खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम भगेरा पटवार हल्का निवाई तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 278, 42 लगायत 49, 281, 282, 284 लगायत 287 अपीलार्थीगण की कब्जे काश्त की भूमि है, राजस्व भू–अभिलेखों में अपीलार्थीगण का नाम बतौर खातेदार कृषक के रूप में दर्ज है तथा उक्त वर्णित भूमि में से होकर कभी किसी प्रकार कोई रास्ता कायम नही रहा तथा उक्त भूमि हमेशा से सम्पूर्ण कृषि प्रयोजनार्थ ही काम में ली जा रही है परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार व औचित्य के क्षेत्राधिकार के बाहर अपीलार्थीगण की खातेदारी की भूमि में से होकर रास्ता दर्ज किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2016 पारित फरमा दिया गया है जो कानून के विपरित एवं प्रकरण के वास्तविक मुद्दे व बिना मौके को देखे ही उक्त आदेश पारित किया गया है, जो अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीगण को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का मौका प्रदान नही किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय एवं न्याय प्रशासन के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण अपीलाधीन आदेश पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण के उक्त वर्णित खसरा नम्बरों में कभी भी कोई आम रास्ता नही रहा, ना ही कोई ऐसा मौका रिपोर्ट है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि उक्त खसरा नम्बरान में काई कच्चा या पक्का रास्ता होना प्रकट हो, यदि कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई आम रास्ता होने का कोई प्रमाण नही है तथा ना ही मौके पर कोई रास्ता हो तो अधीनस्थ न्यायालय को ऐसी भूमि में से बिना खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये किसी प्रकार का कोई रास्ता निकालने का अधिकार नही होने क बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2016 पारित किया गया है, जो पूर्णतः अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी अंकित किया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार उक्त तथाकथित रास्ता अंकित किया जाना है, वास्तव में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एव 132 अथवा अधिनियम 1957 के भू राजस्व नियमों के किसी भी नियम में ऐसा कोई प्रावधान अंकित नही है कि खतेदार कृषक की कृषि जोत में से होकर कोई नवीन रास्ता कायम कर दें, परन्तु अधीनस्थ न्यायायल ने कार्यवाही करते हुऐ उक्त नियमों को हवाला देते हुऐ अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2016 पारित किया गया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि में से होकर रास्ता दर्शा दिये जाने तथा नक्शे व जमाबन्दी में रास्ता का नम्बर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

पृथक से अंकित किये जाने का स्पष्ट आशय है कि अपीलार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि के उक्त भाग से पूर्णतः वंचित कर जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है जिसका अधीनस्थ न्यायालय को कोई कानूनी क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है, परन्तु फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलालाधीन आदेश पारित किया है, जो पूर्णतः अवैध होने की वजह से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2016 अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर व नोटिस दिये बिना पारित किया था इसलिये अपीलार्थीगण को उक्त आदेश की कोई जानकारी पूव में नही रही, अपीलार्थीगण की उक्त कृषि भूमि पर जब तहसील कार्यालय के कर्मचारी आये तथा पेड़ इत्यादि उखाड़ने लगे तो अपीलार्थीगण ने इसका कारण पूछा तो तहसील कार्यालय के कर्मचारियों ने बताया कि उक्त कृषि भूमि से रास्ता कायम किये जाने के आदेश उपखण्ड अधिकारी नवलगढ द्वारा पारित किया गया है जिस पर अपीलार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के यहॉ उक्त प्रकरण की पत्रावली की नकल लेने हेतु आवेदन कर दिनांक 17.09.016 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की तो अपीलार्थीगण को उक्त आदेश की जानकारी हुई जिस पर अपीलार्थीगण ने बिना किसी प्रकार की देरी किये न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है तथा जानकारी के अभाव में जो समय गुजरा वह क्षम्य किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से पेश किया है तथा उक्त विलम्ब अवधि को क्षमा किया जाना न्यायहित में अपेक्षित है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावें एवं उपरोक्त तथ्यों के मद्दनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि राज्य सरकार के राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज–6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 में विस्तृत दिशा निर्देश रास्तों की समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में प्राप्त हुये, साथ ही जिला कलक्टर झुन्झुनू के द्वारा भी तहसील क्षेत्र में रास्तों की समस्याओं का उपरोक्त परिपत्रानुसार कार्यवाही हेतु पत्रांक प12(40)राजस्व/2016/2846–201 दिनांक 26.08.2016 की पालनार्थ प्राप्त हुआ, उपरोक्त वर्णित पत्राकों के अनुरूप तहसील क्षेत्र में संज्ञान में रहे रास्तों की समस्या निराकरण के सम्बन्ध में रास्तों के राजस्व रिकार्ड के अंकन बाबत पटवार हल्का तथा निरीक्षक भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर विस्तृत प्रस्ताव लिये गये तथा रास्तों का सम्पूर्ण नियमानुसार अंकन राजस्व अभिलेख में किया गया उक्त प्रश्नगत रास्ता भी ऐसे ही प्रस्ताव का एक हिस्सा है तथा पूर्णतया वैधानिक है इसमें कुछ भी विधि विरूद्ध नही किया गया है, रास्ते का अंकन अपीलान्ट की संज्ञान में था, अपील संख्या 1, 2, 3 व 9 के खसरा नम्बर में तहसीलदार द्वारा रास्ता खोलने की कार्यवाही की गई जिसकी फर्द मौका रिपोर्ट पर अपीलान्ट संख्या 6 ने भी हस्ताक्षकर किये है, कुछ अपीलान्ट ने बैंक से रहन लिया है जिसकी

संभागीय आयुक्त
जयपुर

खातेदारी प्रमाण पत्रों में रास्तों का स्पष्ट उल्लेख है जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट को रास्ते के अंकन की पूर्व में जानकारी थी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 द्वारा हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट अथवा तरतीबी रेस्पोडेन्ट बनने का निवेदन किया है जबकि अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2016 को निरस्त किये जाने एवं अपने खातेदारी अधिकारों की बहाली हेतु प्रस्तुत की गई है जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण धर्मवीर पुत्र देवकरण जाट एवं सज्जन पुत्र श्रवण गुर्जर के किसी प्रकार के कोई हित प्रभावित नही होते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को हस्तगत अपील में पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश–1 नियम–10 खारिज किया जाता है। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स की खातेदारी आराजी में से रास्ता निकालने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2016 पारित किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बाबत अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई सुनवाई का अवसर या नोटिस ही नही दिया गया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों एवं न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध प्रतीत होता है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2016 को उचित नही ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ जिला झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.12.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ जिला झुन्झुनू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।